



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.10.2026

स्वाट टीम गाजियाबाद व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में शराब व बिक्री के 1250/- रुपये बरामद ।

दिनांक 02.10.2026 को स्वीट टीम गाजियाबाद व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से शराब बेचने वाले अभियुक्त गण (1) राहुल पुत्र कुन्दन सिंह निवासी म0न0 138 चिपयाना खुर्द तिगरी नोएडा उम्र 28 वर्ष (2) नितेश पुत्र रमेश कुमार निवासी पी-01 सरस्वती कुजं नोएडा उम्र 30 वर्ष (3) दीपक पुत्र चन्द्रशेखर निवासी सरस्वती कुजं चिपियाना नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 34 वर्ष को सेवियर सोसायटी के पीछे खाली पड़े मैदान थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से उत्तर प्रदेश मार्का सिमरन आफ जामुन 10 बोतल, मैजिक मूमेन्ट प्लेनस 04 बोतल, मैजिक मुमेन्ट जामुन 7 हाफ, मैजिक मूमेन्ट वोडका हाफ 07, ब्लैन्डर प्राईड ब्लू 11 हाफ, राकफोर्ड 32 हाफ, बडवाईजर बियर 9 पैटी व 02 बीयर कैन कुल कैन 218, कार्लसबर्ग बियर की 05 पैटी व 02 बीयर कैन कुल 122 कैन आदि व शराब की बिक्री के 1250/- रुपये बरामद हुए । बरामद शराब की कुल कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये है । अभियुक्त गण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गण ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 02.10.2026 को गांधी जयंती के उपलक्ष में ड्राई डे होने के कारण शराब के ठेके बंद थे, जिसका फायदा उठा कर हम लोग अच्छा मुनाफा कमाने के लालच में आ गये, जिसके चलते हमने पहले से ही शराब व बीयर की पेटी का इन्तजाम कर लिया था और शराब व बीयर को ऊर्चें दामो पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाने के लालच में यह शराब व बीयर बेच रहे थे कि पुलिस ने हमें शराब बेचते हुए पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- (1) राहुल पुत्र कुन्दन सिंह निवासी म0न0 138 चिपयाना खुर्द तिगरी नोएडा उम्र 28 वर्ष ।
- (2) नितेश पुत्र रमेश कुमार निवासी पी-01 सरस्वती कुजं नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष ।
- (3) दीपक पुत्र चन्द्रशेखर निवासी सरस्वती कुजं चिपियाना नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 34 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

उत्तर प्रदेश मार्का सिमरन आफ जामुन 10 बोतल, मैजिक मूमेन्ट प्लेनस 04 बोतल, मैजिक मुमेन्ट जामुन 7 हाफ, मैजिक मूमेन्ट वोडका हाफ 07, ब्लैन्डर प्राईड ब्लू 11 हाफ, राकफोर्ड 32 हाफ, बडवाईजर बियर 9 पैटी व 02 बीयर कैन कुल कैन 218, कार्लसबर्ग बियर की 05 पैटी व 02 बीयर कैन कुल 122 कैन आदि व शराब की बिक्री के 1250/- रुपये ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आबकारी अधि0 से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम गाजियाबाद व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को सीमापुरी डिपो दिल्ली से सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 18.05.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी शालीकराम पुत्र श्री प्रभु निवसी राज हस्पिटल के सामने बी-69 पतली गली मैन शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि जब हम सभी परिवार वाले सो गये तब मेरी नाबालिग बेटी बिना बताये किसी के साथ चली गई है। हमने अपनी नाबालिग बेटी का काफी तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। नाबालिग बालिका की बदामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 02.10.2026 को नाबालिग बालिका को सीमापुरी डिपो दिल्ली से सकुशल बरामद किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

नाबालिग बालिका को सीमापुरी डिपो दिल्ली से सकुशल बरामद किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.07.2026 को थाना लोनी पर वादिया की प्राप्त तहरीर कि घेरपाल व अन्य 04 अभियुक्तगण द्वारा वादिया के साथ धोखाधड़ी करके प्लाट के फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर प्लाट का बैनामा करने के बहाने पैसे ले लेना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा- 318(4),338,340(2),336(3),351(3),61(2) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 02.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त घेरपाल पुत्र लाल सिंह निवासी इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने 04 साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके प्लाट के फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा करने के बहाने वादिया से रुपये लिये थे।

अभियुक्त का नाम व पता-

घेरपाल पुत्र लाल सिंह निवासी इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 67 पच्चे अवैध शराब व अवैध शराब की बिक्री से अर्जित नकद 4,480 रुपये बरामद।

आज दिनांक 03.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त अभिषेक शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी गली नं-2 बस स्टैण्ड के पीछे चर्च कम्पाउंड थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 67 पच्चे अवैध देशी शराब व अवैध शराब की बिक्री से अर्जित नकद 4,480 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर आबकारी अधिनियम की धारा-60 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पास शराब बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है। मैं ठेकों से पहले ही शराब खरीद कर रख लेता हूँ और जब रात्रि में ठेके बन्द हो जाते हैं तो इन शराब के पक्वों को ऊँचे दामों पर ग्राहकों को देता हूँ। मैंने पहले ही ये देशी शराब के पक्वे खरीद लिये थे जिन्हें राह चलते व्यक्तियों को अधिक दाम पर बेच रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया। मेरे पास से जो ये 4,480 रुपये मिले हैं, ये अवैध शराब को बेचकर अर्जित किये हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी गली नं-2 बस स्टैण्ड के पीछे चर्च कम्पाउंड थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 67 पच्चे अवैध देशी शराब व अवैध शराब की बिक्री से अर्जित नकद 4,480 रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण सहित थाना मुरादनगर पर आबकारी अधिनियम के कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

